बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

शुद्धि–पत्र

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–03/2021– 577 **पटना, दिनांक– 21 जनवरी, 2022**

राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक– 490, दिनांक–20.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देशों निर्गत हैं, जो दिनांक–06.02.2022 तक प्रभावी हैं।

2. एतद् द्वारा उक्त आदेश की कंडिका–3 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

" सभी विद्यालय **(प्री–स्कूल सहित)**/महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) बन्द रहेंगे, परन्तु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन सम्बन्धी परीक्षाएँ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ संचालित की जा सकेंगी।

अपवाद– पुलिस एवं होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से सम्बन्धित शिक्षण/ प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बन्द /संचालित किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। "

3. विभागीय ज्ञापांक–490, दिनांक–20.01.2022 के शेष आदेश यथावत् लागू रहेंगे।

(आमिर सुबहानी)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–03/2021– 577 **पटना, दिनांक– 21 जनवरी, 2022**

प्रतिलिपिः– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक – जी/आपदा–06–03/2021– 577 **पटना, दिनांक– 21 जनवरी, 2022**

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य सचिव, बिहार।